

आदेश

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम-9 के उप नियम 8 के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के लिए पदोन्नति देने हेतु गठित विभागीय पदोन्नती समीति की अभिशंभा पर राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित अभियोजन अधिकारियों को सहायक निदेशक अभियोजन के अस्थाई पदों पर पे बेन्ड (3)15600-39100 ग्रेड पे (16)6000/- में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 में पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है। उक्त अधिकारीगणों को नगर भुगतान उक्त पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से देय होगा।

क्र०सं०	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति की दिनांक
1	श्री पदम चन्द	अनुसूचित जाति	दिनांक 1.08.2015
2	श्री गिर्राज प्रसाद जोनवाल	अनुसूचित जाति	दिनांक 01.09.2015
3	श्री अशोक कुमार जोशी	अनुसूचित जाति	दिनांक 01.03.2016
4	श्री पंकज कुमार वर्मा	अनुसूचित जाति	दिनांक 01.03.2016
5	श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा	सामान्य	दिनांक 01.04.2015
6	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	सामान्य	दिनांक 01.04.2015
7	श्री अशोक कुमार भारद्वाज	सामान्य	दिनांक 01.04.2015
8	श्री सुरेन्द्र कुमार भारद्वाज	सामान्य	दिनांक 01.04.2015
9	श्री उमा शंकर खण्डेलवाल	सामान्य	दिनांक 01.08.2015
10	श्री नित्येन्द्र कुमार शर्मा	सामान्य	दिनांक 01.08.2015
11	श्री नन्द किशोर सांखला	सामान्य	दिनांक 01.08.2015
12	श्री मुरारी लाल शर्मा	सामान्य	दिनांक 01.11.2015
13	श्री लखन लाल मीणा	अनुसूचित जनजाति	दिनांक 01.04.2015
14	श्री मातादीन मीणा	अनुसूचित जनजाति	दिनांक 01.04.2015
15	श्री प्रदीप कुमार	अनुसूचित जनजाति	दिनांक 01.04.2015
16	श्री मेघराम मीणा	अनुसूचित जनजाति	दिनांक 01.07.2015

उक्त अधिकारीगण के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जावेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

Sd/—

(राजेन्द्र सिंह चौधरी)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय गृहमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
5. निदेशक अभियोजन, 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
7. सम्बन्धित अधिकारीगण।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


4/7/16
विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)